संशोधित

कार्यालय जिलाधिकारी, श्रावस्ती।
खनन अनुभाग

दिनांकः 21 जून 2025

संख्याः 146/खनन अनुभाग/2025-26

उपखनिज के निस्तारण/निकासी के लिये ई-निविदा आमंत्रण हेतु संशोधित

सार्वजनिक सूचना

जनपद श्रावस्ती के तहसील इकौना के ग्राम टेण्डवा जगरावल व अन्य ग्राम समूहों की बाढ़ एवं कटान से से सुरक्षा हेतु सेक्टोरल ड्रेजिंग द्वारा रिवर ट्रेनिंग की कार्य की परियोजना के अर्न्तगत निकाले गये ड्रेज्ड् मैटिरियल (साधारण बालू) को निस्तारित किये जाने हेतु प्रकाशित ई-निविदा संख्या 142/खनन अनुभाग/2025-26 दिनांक 19-06-2025 के द्वारा दिनांक 21-06-2025 से 28-06-2025 तक निविदा आमंत्रित की गयी थी एवं दिनांक 30-06-2025 को ई- निविदा खोले जाने का समय 4.00 बजे तक नियत थी। अपरिहार्य कारणों से उक्त ई- निविदा की तिथि को संशोधित करते हुए निविदा दिनांक 25-06-2025 से 02-07-2025 को सायं 05:00 बजे तक क्षेत्र से भण्डारित बालू हटाये जाने हेतु WWW.etender.up.nic.in पोर्टल के माध्यम से अल्पकालिक ई-निविदा आमंत्रित की जाती है एवं दिनांक 03-07-2025 को सांय 4.00 बजे ई- निविदा खोली जायेगी। ई- निविदा की नियम व शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

(अमरेन्द्र कुमार वर्मा)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
श्रावस्ती।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु।

2-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय खनिज भवन, उ0प्र0, लखनऊ।

3- जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

21-06-25
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
श्रावस्ती।

कार्यालय जिलाधिकारी, श्रावस्ती।

खनन अनुभाग

संख्या: 142/खनन अनुभाग/2025–26 दिनांक: 19 जून 2025

उपखनिज के निस्तारण/निकासी के लिये ई–निविदा आमंत्रण हेतु सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद श्रावस्ती के तहसील इकौना के ग्राम टेण्डवा जगरावल व अन्य ग्राम समूहों की बाढ़ एवं कटान से से सुरक्षा हेतु सेक्टोरल ड्रेजिंग द्वारा रिवर ट्रेनिंग की कार्य की परियोजना के अर्न्तगत निकाले गये ड्रेज्ड् मैटिरियल (साधारण बालू) को निस्तारित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–6/2024/523616/2024/फाइल नं0–86–01099/51/2023 दिनांक 19–03–2024 में दियये गये में दिये गये निर्देशानुसार ई–टेन्डर प्रणाली के माध्यम से साधारण बालू हटाये जाने हेतु निम्नवत् उपलब्ध घोषित किया जाता है एवं उपरोक्तानुसार दिनांक 21–06–2025 से 28–06–2025 की सायं 05:00 बजे तक क्षेत्र से भण्डारित बालू हटाये जाने हेतु www.etender.up.nic.in पोर्टल के माध्यम से अल्पकालिक ई–निविदा आमंत्रित की जाती है एवं दिनांक 30–06–2025 को सांय 4.00 बजे ई– निविदा खोली जायेगी।

उपलब्ध ड्रेज्ड मैटेरियल साधारण बालू का विवरण:–

क्र0 सं0	तहसील/ग्राम का नाम	उप खनिज का नाम	नदी का नाम	लाट संख्या	कॉर्डिनेट्स		एकत्रित बालू की मात्रा घन मीटर	साधारण बालू की प्रचलित दर रूपये प्रति घन मीटर	न्यूनतम आरक्षित मूल्य रूपये में	आरक्षित मुल्य का 50% अर्नेस्ट मनी रूपये में
					अक्षांश	देशांतर				
1	इकौना/ग्राम टेण्डवा जगरावल	साधारण बालू	राप्ती नदी	01	27.580160 27.579681 27.578375 27.578973	81.921678 81.924121 81.924731 81.924736	15660m3	65/–	10,17,900	5,08,950
				02	27.578449 27.578821 27.577566 27.577722	81.924846 81.925083 81.926477 81.926642	35000m3	65/–	22,75,000	11,37,500
				03	27.577455 27.576214 27.577545 27.566453	81.926378 81.928896 81.926605 81.929265	52500m3	65/–	34,12,500	17,06,250
				04	27.576736 27.576210 27.576552 27.576275	81.928816 81.929173 81.929449 81.929811	22500m3	65/–	14,62,500	7,31,250

शर्तें निम्न प्रकार की हैं–

1. उप खनिज निकासी की अवधि 03 माह की होगी। 03 माह की अधिकतम अवधि में कोई विस्तार अनुमन्य नहीं होगा।
2. ड्रेज्ड भण्डारित बालू हटाने की अवधि 03 माह अथवा नदी के जल स्तर बढ़ने अथवा ड्रेजिंग का कार्य पुनः शुरूआत होने जिससे परिवहन मार्ग अवरूद्ध होने के कारण बालू हटाना सम्भव न हो, जो भी पहले घटित हो मान्य होगा। किसी भी दशा में अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा।
3. कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भरतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई–निविदा संलग्न प्रारूप–2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी
   (क) विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञप्ति किया गया हो
   (ख) विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक
   (ग) निविदा का नाम व पिता का नाम पता (स्थाई व वर्तमान) ई–मेल व मोबाइल नम्बर

(घ) उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिये उसने निविदा प्रस्तुत की है, जिसमें निम्न हों–

उपखनिज का नाम–

तहसील का नाम–

भण्डारित स्थल का नाम–

(ङ) निविदादाता का नाम, पिता का नाम, पता स्थाई और वर्तमान, ई–मेल एवं मोबाइल नम्बर (पता के प्रमाण के रूप में निम्न में कोई एक मान्य होगा–वोटर आई0डी0 कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंन्स/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड/फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये उनका पंजीकरण का विवरण)

(च) खनिज के प्रति घनमीटर के लिये दी जाने वाली दर, जो खनिज के लिये नियमावली 2021 के प्रथम अनुसूची में विर्निष्टि रायल्टी की दर से कम नहीं होगा।

(छ) एकत्रित किये गये बालू की मात्रा (घनमीटर) को नियमावली 2021 की अनुसूची–1 में उपखनिज (साधारण बालू) प्रथम श्रेणी की वर्तमान में प्रचलित रायल्टी दर रू0 65/– प्रति घनमीटर से उपखनिज की मात्रा से गुणा कर जो धनराशि आयेगी उसका 50% के समतुल्य राशि का बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी श्रावस्ती के पक्ष में अग्रिम रूप से दी जायेगी। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई–निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि तक खनन अनुभाग कलेक्ट्रेट कार्यालय श्रावस्ती में उपलब्ध करानी होगी। जिस निविदादाता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा उसकी ई निविदा निरस्त समझी जायेगी।

(ज) खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में शपथ–पत्र

(झ) उस जिले के जिलाधिकारी से जारी चरित्र प्रमाण–पत्र जहाँ वह स्थाई रूप से निवास करता है।

(ट) पैन कार्ड एवं फोटोयुक्त प्रमाण–पत्र।

4. ई–निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक 21–06–2025 से 28–06–2025 को सायं 05:00 बजे तक ई–टेण्डर पोर्टल www.etnder.up.nic.in पर निविदादाता के द्वारा अपनी ई–निविदा पूर्ण की जा सकेगी।
5. विज्ञप्ति के अनुसार 07 कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस अर्थात दिनांक 30.06.2025 को अपरान्ह 4:00 बजे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित ई–टेण्डर समिति के सदस्यों द्वारा खोला जायेगा।
6. बिन्दु संख्या–3 में उल्लिखित वांछित अभिलेख तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति के साथ अपलोड जाना होगा। यदि निविदादाता द्वारा बिन्दु संख्या–3 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व दिनांक 30.06.2025 को अपरान्ह 12:00 बजे जिलाधिकारी कार्यालय (खनन अनुभाग) श्रावस्ती में जमा करना होगा, तथा बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक क्षेत्र का क्रमांक अंकित करना होगा।
7. क्षेत्र से निकासी की जाने वाली खनिज के प्रति घनमीटर के लिये दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदादाता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा भण्डारित बालू हटाने सम्बन्धित सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) जारी किया जायेगा।
8. जिलाधिकारी को कोई कारण बताये बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।
9. भण्डारण स्थल अथवा अन्य किसी जानकारी के लिये सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया सकता है।
10. क्षेत्र से निकासी की जाने वाली खनिज के प्रति घनमीटर के लिये दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदा दाता का चयन उस क्षेत्र के लिये किया जायेगा। सफल निविदादाता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) जारी किया जायेगा। सहमति पत्र निर्गत होने के 02 दिवस के अन्दर अवशेष सभी धनराशि जमा करना होगा। अन्यथा जमा अर्नेष्ट मनी जप्त कर ली जायेगी, जिसके लिये कोई दावा/प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी।
11. निविदादाता को बालू भण्डारण स्थल से मुख्य मार्ग तक की व्यवस्था/निर्माण स्वयं के व्यय पर करना होगा। किसी तृतीय पक्ष के विवाद की स्थिति में राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी।
12. ई–निविदा में दी गयी दर को गुणा कर वास्तविक धनराशि निकाली जायेगी। अग्रिम रूप जमा 50% की धनराशि को समायोजित करते हुये शेष धनराशि आदेश निर्गत करने से पूर्व बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चालान द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।

13. ई– निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा गुणवत्ता एवं भण्डारित स्थल के लिये पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर निविदादाता स्वयं आश्वस्त हो लें। ई–निविदा में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
14. मा0 न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होगें।
15. निविदादाता के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र से बालू हटाने/परिवहन से यदि किसी तीसरे पक्ष को कोई क्षति पहुँचती है तो उसकी प्रतिपूर्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारक उत्तरदायी होगा।
16. भण्डारण स्थल पर बालू जहाँ भी है जिस अवस्था में है उसका सत्यापन स्वयं आवेदक करेगा। टेण्डर स्वीकृत होने के बाद प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
17. शासन एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय समय पर दिये गये आदेश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. ई–निविदा की प्रकिया में भाग लेने हेतु अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू0 10000/– का जिलाधिकारी श्रावस्ती के पदनाम डी0डी0 प्रत्येक कम संख्या/लाट के लिए अलग–अलग जमा करना होगा जो किसी भी दशा में वापस नही होगा।
19. निर्धारित अवधि में प्राप्त निविदाओं को दिनांक 30.06.2025 को अपरान्ह 4:00 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में गठित समिति के सदस्यों एवं निविदादाताओं की उपस्थिति में खोला जोयेगा।
20. सफल निविदादाता को देय निविदा धनराशि पर 2% टी0सी0एस0 10% जिला खनिज न्यास तिथि (डी0एम0एफ0) को देय होगी।

(अजय कुमार द्विवेदी)
जिलाधिकारी,
श्रावस्ती।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु।
4. अधिक्षक अभियन्ता, सिचाई कार्यशाला मण्डल–प्रथम, 67–ए कैण्ट, कानपुर–04
5. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या भूतत्व एवं खनिकर्म।
6. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद श्रावस्ती को व्यापक प्रचार–प्रसार कराने हेतु।
7. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट श्रावस्ती को मुख्य सूचनापट पर चस्पा करने हेतु।
8. सम्बन्धित समिति के सदस्यों एवं अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), श्रावस्ती को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निदेशालय भूतत्व एवं खनिकर्म डी0एस0सी0 मैपिंग कराते हुये ई–टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी श्रावस्ती को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना जनपद श्रावस्ती के एन0आई0सी0 के वेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
श्रावस्ती।

खनन अनुज्ञा– पत्र हेतु ई– निविदा प्रपत्र

महत्वपूर्ण– किसी प्रकार के कटिंग/ओवरराइटिंग पर ई– निविदा निरस्त की जा सकती है।

1.	विज्ञाप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो	
2.	विज्ञाप्ति में क्षेत्र का कमांक	
3.	निविदाकार का नाम	
4.	निविदाकार के पिता का नाम	
5.	स्थाई पता	
6.	वर्तमान पता	
7.	मोबाइल नम्बर	
8	ईमेल आईडी	
9	जिस क्षेत्र की निविदा दी जानी है, उसका विवरण क. उपखनिज का नाम ख. जनपद का नाम ग. तहसील का नाम घ. खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम ड. गाटा संख्या/खण्ड संख्या/जोन संख्या च. क्षेत्रफल (एकड़ में)	
10.	आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र संख्या (आधार कार्ड की स्कैन कापी ई– टेन्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
11.	पैन कार्ड की कापी(पैन कार्ड की स्कैन कापी ई– टेन्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
12.	निविदाकार द्वारा कोई खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में अदेयता प्रमाण पत्र /घोषणा प्रमाण/शपथ पत्र (अदेयता प्रमाण पत्र /घोषणा प्रमाण/शपथ पत्र की स्कैन कापी ई– टेन्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
13	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र का संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो।(चरित्र प्रमाण की स्कैन कापी ई– टेन्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
14	कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या (DIN की स्कैन कापी ई– टेन्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
15	क्षेत्र में निर्धारित/आंकलित मात्रा को नियमावली के अनुसूची 01 में उपखनिज के लिये प्रचलित रायल्टी दर के गुणांक का 60 प्रतिशत (अर्नस्ट मनी) का ड्राफ्ट धनराशि व ड्राफ्ट का विवरण (बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कापी ई– टेन्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	ड्राफ्ट धनराशि .... बैंक का नाम व शाखा .... ड्राफ्ट का नम्बर ....

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपाई नही गई है तथा मै निविदा आमन्त्रण प्रपत्र की समस्त शर्तों को स्वीकार कता हूँ।

दिनांक–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Kumar
Date: 2025.06.23 14:41:07 IST
Location: Uttar Pradesh-UP

निविदाकार के हस्ताक्षर